

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 812/पा0380वि0/पंजीकरण 'सी' श्रेणी/18-19

दिनांक 10-8-18

पंजीकरण सं० 10/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री नीरज कुमार शुक्ला पुत्र श्री सुरेन्द्र नारायण शुक्ला, मादपुर मनीरी, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रकल्पों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/ताब्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- ठेकेदार को पंजीकरण/पंजीकीकरण कठारों के उपरान्त
अप विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण करना
एवं संपूर्णतया प्राप्ति करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिराशी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को स्टेट बैंक, शाखा सिविल लाइन इलाहाबाद द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 खाता सं०-37788871489 दिनांक 03.07.2018 जमा धनराशि रु 1,00,000.00 जो अयोहस्ताक्षरी के पदनाम संधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक संघक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री नीरज कुमार शुक्ला पुत्र श्री सुरेन्द्र नारायण शुक्ला, मादपुर मनीरी, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद द्वारा अधिराशी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।



अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।